

वादीगण की ओर श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता व प्रतिवादीया 1 श्री लाकेश शर्मा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, श्रीमति निर्मला, प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 श्री लोकेश एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वाद वादी अन्तिम डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबुत व राजीनामा के आधार पर किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर निम्न प्रकार से खाता तकसीम किया जाता है कि :-

चक 14 एलएलडब्ल्यू के खाता संख्या 150/140 के पत्थर नम्बर 115/235 (84) किला नम्बर 7/2 की 0.063 हैक्. 14, 15, 16, 17, 24 की 1.012 हैक्. कुल 1.075 हैक्. पत्थर नम्बर 113/236(91) किला नम्बर 8, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 की 2.024 हैक्. कुल 3.099 हैक्. में वादीगण का 0.822 हैक्. व धीरज का 0.759 हैक्. साहिल का 0.759 हैक्. तथा प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वरलाल का 0.759 हैक्. भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि वादी,प्रतिवादी के हिस्से पर लिये गए लोन के अनुसार रहन दर्ज करते हुए उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गौरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक ०५.१२.२०२० को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

मिलान किया
dh

Web Copy - Not Official

(कपिल आदव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
पदेन सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

